उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद

पं0 दीनदयाल उपाध्याय पर्यटन भवन,

(निकट– ओ0एन0जी0सी0 हैलीपैड़) नीम्बूवाला, गढ़ीकैन्ट, देहरादून)

दूरभाषः 0135–2559898,E-mail- tourismkarmik@gmail.com

संख्या–14/2–2–557/2022–23 **देहरादून दिनांकः 01. 04. 2023**

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् के अधीन साहसिक पर्यटन विंग के अन्तर्गत विषय विशेषज्ञ (थल क्रीड़ा) के संविदा/नियत वेतन के सृजित पद हेतु नियम व शर्ते

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद में साहसिक पर्यटन विंग के अधीन विषय विशेषज्ञ (थल क्रीड़ा) के 01 पद को संविदा/नियत वेतन के आधार पर नियुक्ति हेतु निर्धारित योग्यता रखने वाले इच्छुक आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी इस विज्ञप्ति के साथ दिये गये आवेदन पत्र पर अपना आवेदन अभिलेखो सहित स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक/कोरियर के माध्यम से प्रेषित करें जो कि इस कार्यालय को दिनांक 02.05.2023 सांय 5:00 बजे तक प्राप्त हो जाय। निर्धारित तिथि एवं समय के उपरान्त प्राप्त होने वाले आवेदन–पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे।

क्र0 सं0	पद का नाम	पद की संख्या	नियत मानदेय	भर्ती का स्त्रोत	नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं
01	विषय विशेषज्ञ (थल क्रीड़ा)	01	रू0–70,000/– प्रतिमाह	संविदा/नियत वेतन (चयन समिति के माध्यम से खुले बाजार से चयन द्वारा)	(1) शैक्षिक योग्यता–स्नातक। (2) पर्वतारोहण में मान्यताप्राप्त संस्थान से Basic Advanced Search & Rescue Instructor Course उतीर्ण। (3) 8000 मीटर की उंचाई के 01 पर्वत का सफलतापूर्वक आरोहण। (4) 7000 मीटर की उंचाई के 02 पर्वतों का सफलतापूर्वक आरोहण। (5) मान्यताप्राप्त संस्थान से स्कीईंग में बेसिक इण्टरमिडिएट, Advanced Method of Instructor Course उतीर्ण। अथवा (1) स्कीईंग की 01 अन्तराष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग। (2) स्कीईंग की 02 राष्ट्रीय स्तर की 02 प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व।

नियम व शर्तेः–

- विज्ञापित पद पर चयन विभागीय चयन समिति के माध्यम से किया जायेगा।
- साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी को उसके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में उल्लिखित समस्त अभिलेख मूल में प्रस्तुत करने होंगे। साथ ही समस्त अभिलेखों की एक स्वः प्रमाणित प्रति अभिलेख हेतु भी प्रस्तुत करनी अनिवार्य होगी।
- प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में उल्लिखित योग्यताओं से सम्बन्धित अभिलेख/प्रमाण–पत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत न किये जा सकने पर अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
- साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिये यात्रा/दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।
- उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् बिना किसी पूर्व सूचना के विज्ञप्ति को निरस्त कर सकता है।

(सचिन कुर्वे)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी।